पटना में दिनांक–19 जनवरी, 2016 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

सामान्य प्रशासन विभाग

1.	बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की धारा–13 की उप धारा (i) में प्रावधान के आलोक में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार, नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

2.	बिहार राज्य हज समिति को हज–2015 के लिए 24 (चौबीस) खादिमुल हुज्जाज भेजने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कुल 24,06,000/–रूपये (चौबीस लाख छः हजार रूपये) चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिहार आकस्मिकता निधि के माध्यम से अतिरिक्त सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति करने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

3.	श्री लक्ष्मी प्रसाद साहू, तत्कालीन उप निदेशक, पटना अंचल, सम्प्रति दरभंगा अंचल (अतिरिक्त प्रभार मुजफ्फरपुर) के विरूद्ध वृहद शास्ति अधिरोपण "बर्खास्तगी" के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

4.	राज्य के नगर निकायों में स्वीकृत रिक्त पदों पर 4% कमीशन पर टैक्स संग्राहकों की व्यवस्था का प्रस्ताव।	4.	स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

5.	मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना तथा बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित) के सफल कार्यान्वयन हेतु क्रमशः 16 पदों एवं 88 पदों का सृजन की स्वीकृति।	5.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

(भविष्य निधि निदेशालय)

6.	सामान्य भविष्य निधि से आच्छादित सरकारी सेवकों के भविष्य निधि अंशदान को उनके भविष्य निधि खाता में जमा एवं उस पर देय ब्याज हेतु बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 14(3) को संशोधित करने के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

7.	बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में।	7.	**स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

8.	मुख्यमंत्री के परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम–कार्यान्वयन के पद का सृजन।	8.	**स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

9.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत घोषित रियायते एवं देय सुविधाओं की प्रतिपूर्ति के लिये अतिरिक्त कुल ₹ 205.18 करोड़ (दो सौ पाँच करोड़ अठारह लाख रूपये) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति के संबंध में।	9.	**स्वीकृत।**

ग्रामीण कार्य विभाग

10.	मांग संख्या–37 योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–उपशीर्ष–00–लघु शीर्ष–103–ग्राम विकास उप शीर्ष–0216–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (केन्द्रांश) के अन्तर्गत विषय शीर्ष 5301 में कुल राशि ₹ 21339.00000 लाख (दो सौ तेरह करोड़ उन्चालीस लाख) मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति।	10.	**स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

11.	योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, पटना के लिए उपबंधित कुल 25.47 करोड़ रूपये (पच्चीस करोड़ सैंतालीस लाख) रूपये मात्र में से भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि 11.0753 करोड़ रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारत सरकार से विमुक्त किन्तु अव्यवहृत राशि 1.00 करोड़ (एक करोड़) रूपये के साथ कुल 12.0753 करोड़ रूपये (बारह करोड़ सात लाख तिरपन हजार) सहायक अनुदान की स्वीकृति।	11.	**स्वीकृत।**

वित्त विभाग

12.	संचालन शुल्क (Centage) के निर्धारण के संबंध में।	12.	**स्वीकृत।**

सहकारिता विभाग

13. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत रबी 2014–15 मौसम हेतु प्रीमियम अनुदान मद अन्तर्गत राज्यांश के रूप में 3,29,00,151.00 रूपया (तीन करोड़ उनतीस लाख एक सौ एकावन रू०) मात्र एवं क्षतिपूर्ति मद अन्तर्गत राज्यांश के रूप में 5,20,79,59,748.00 रूपया (पाँच अरब बीस करोड़ उनासी लाख उनसठ हजार सात सौ अड़तालीस रूपया) मात्र की स्वीकृति तथा उक्त के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–2016 में राज्य योजना से प्रीमियम एवं अन्य व्यय अनुदान मद में 329.27 लाख (तीन करोड़ उनतीस लाख सताईस हजार मात्र) रूपये एवं क्षतिपूर्ति अनुदान मद में 49292.29 लाख (चार अरब बेरानबे करोड़ बेरानबे लाख उनतीस हजार) रूपये के व्यय की स्वीकृति तथा प्राप्त उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अनुरूप राशि की निकासी एवं राज्य योजना में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत् क्षतिपूर्ति अनुदान मद में 314.5029 करोड़ रूपया की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।

13. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

14. पैक्सों तथा व्यापारमंडलों में चावल मिल सह गैसीफायर की स्थापना हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत पूर्व में केन्द्रीय सरकार से शत् प्रतिशत प्राप्त होने वाली राशि के स्थान पर भारत सरकार द्वारा इस योजना अंतर्गत वर्ष 2015–16 से केन्द्र और राज्य के बीच 60:40 राशि का अनुपात किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2015–16 के लिए कुल 58.136 करोड़ रूपये का 60% केन्द्रीय हिस्सा एवं 40% राज्य हिस्सा प्राप्त कर सहकारी बैंकों के माध्यम से उक्त सहकारी समितियों को कुल 58.136 करोड़ रूपये का 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूंजी (Revolving Capital) के रूप में उपलब्ध कराने की योजना की स्वीकृति।

14. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

15. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) सम्पोषित समेकित सहकारी विकास परियोजना को औरंगाबाद, बेगुसराय, बेतिया, दरभंगा एवं पूर्णियाँ जिलों में वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक 5 वार्षिक चरणों में लागू करने हेतु कुल ₹ 40354.26 लाख (चार सौ तीन करोड़ चौवन लाख छबीस हजार) लागत की प्रशासनिक स्वीकृति तथा उपरोक्त राशि के विरूद्ध वर्ष 2015–16 में परियोजना कार्यान्वयन हेतु एन॰सी॰डी॰सी॰ अंश राशि– चक्रीय पूंजी मद में ₹ 4653.645 लाख (छियालीस करोड़ तिरपन लाख चौसठ हजार पाँच सौ), अनुदान मद में ₹ 4914.6235 लाख (उनचास करोड़ चौदह लाख बासठ हजार तीन सौ पचास) तथा राज्यांश अनुदान ₹ 260.9785 लाख (दो करोड़ साठ लाख सनतानवे हजार आठ सौ पचास) कुल ₹ 9829.247 (अनठानवे करोड़ उनतीस लाख चौबीस हजार सात सौ) रूपये व्यय की स्वीकृति। — 15. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

16. वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत ₹ 63.35 करोड़ एवं वर्ष 2016–17 में स्वीकृत ₹ 43.38 करोड़ की राशि के अन्तर्गत पैक्सों में पूर्व से स्वीकृत 200 मे॰टन गोदाम के प्रावधान को संशोधित कर 200 मे॰टन, 500 मे॰टन या 1000 मे॰टन का प्रावधान स्वीकृत करने तथा व्यापारमंडलों में पूर्व से स्वीकृत 500 मे॰टन के गोदाम के प्रावधान को संशोधित कर 500 मे॰टन या 1000 मे॰टन का गोदाम निर्माण का प्रावधान स्वीकृत करने की योजना की स्वीकृति। — 16. स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

17. श्री अरविन्द कुमार खाँ, अवर निबंधक, बाढ़ (पटना) को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 17. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग
(आई॰सी॰डी॰एस॰ निदेशालय)

18. वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वस्थ्य पोषण से संबंधित निगरानी एवं अनुश्रवण (बाह्य संपोषित) योजना –"SWASTH" कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना मद में प्राप्त अतिरिक्त योजना उद्व्यय से कुल ₹ 11600.00 लाख (एक सौ सोलह करोड़) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर व्यय करने की स्वीकृति। — 18. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

19.	बिहार प्रवेश कर अधिनियम के कुशल प्रशासन एवं प्रभावी कर संग्रहण के लिए "बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993" में संशोधन एवं राज्य के बाहर से आयातित वस्तुओं पर प्रवेश–कर अधिरोपित करने के संबंध में।	**19.**	**स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

20.	बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन करने के संबंध में।	**20.**	**स्वीकृत।**